ज्ञान तत्व 385
मंथन कमांक–114 ''ईश्वर का अस्तित्व''

कुछ निष्कर्ष है–

1. ईश्वर है, किन्तु यदि नहीं भी हो तो एक ईश्वर मान लेना चाहिए;
2. ईश्वर और भगवान अलग–अलग होते है। धर्म दोनों को अलग–अलग मानता है और सम्प्रदाय एक कर देता है;
3. ईश्वर एक अदृश्य शक्ति के रूप में होता है और भगवान प्रेरणादायक महापुरूष के रूप मे;
4. अदृश्य भय व्यक्ति को गलत करने से रोकता है और दृश्य भय, ब्लैकमेल भी कर सकता है। ईश्वर अदृश्य भय होने के कारण बहुत उपयोगी होता है;
5. ईश्वर का भय कम होते जाने के कारण मार्क्स ने अदृश्य भय के लिए नया तरीका खोजा था। मार्क्स की नीयत ठीक थी, तरीका गलत था। मार्क्स ने व्यवस्था की तुलना में व्यक्ति पर अधिक विश्वास करने की भूल की।
6. दर्शन और धर्म अलग–अलग होते है और दोनों का समन्वय समाज के लिए उपयोगी है। दार्शनिक समझता है कि ईश्वर नहीं होता है किन्तु समाज को समझाता है कि ईश्वर है क्योंकि समाज के ठीक–ठीक संचालन के लिए ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व मानना आवश्यक होता है;
7. ईश्वर निराकार होता है और भगवान साकार होते हैं। ईश्वर की मुर्ति नहीं होती, भगवान की होती है। रामकृष्ण भगवान माने जाते है, ईश्वर नहीं;
8. ईश्वर एक है। हिन्दू हो या ईसाई मुसलमान, नाम या भाषा के आधार पर अलग–अलग हो सकते है;
9. मूर्ति पूजा दार्शनिकों के लिए निरर्थक है और सामान्य व्यक्तियों के लिए सार्थक। वैसे भी मूर्ति पूजा निरर्थक कार्य हो सकती है किन्तु समाज विरोधी कार्य नहीं। इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करना निरर्थक कार्य माना जाता है;
10. ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिये और महापुरूष के प्रति श्रद्धा। अदृश्य के प्रति विश्वास और दृश्य के प्रति श्रद्धा होती है। महापुरूषों की मूर्तियां दृश्य मानी जाती है।
11. इस प्रकार की बहस में कभी नहीं पडना चाहिये कि ईश्वर है कि नहीं क्योंकि ईश्वर काल्पनिक है और प्रकृति वास्तविक।
12. जब किसी का अस्तित्व कल्पना से भी बाहर हो जाता है तब उसे ईश्वर मान लेना चाहिए। ब्रह्मांड का विस्तार कल्पना से भी अधिक दूर है और ब्रह्मांड की सूक्ष्मता भी कल्पना से बाहर है। इसलिए ईश्वर को मान लेना उचित होता है;
13. जो लोग नास्तिक होते है वे सत्य जानते है कि ईश्वर नहीं होता। किन्तु वे समाज व्यवस्था के ठीक संचालन के लिए ईश्वर की आवश्यकता है ऐसा न मानकर भूल करते है।
14. भारतीय वर्ण व्यवस्था में ईश्वर को मानने और न मानने का एक बहुत अच्छा संतुलन है। अधिकांश विद्वान ईश्वर को नहीं मानते किन्तु अन्य तीन वर्णो को ईश्वर पर विश्वास कराने का पूरा प्रयत्न करते है।

मैंने भी ईश्वर के अस्तित्व पर अपने पूरे जीवन काल में बहुत सोचा समझा। जिस तरह प्रकृति किसी व्यवस्था के आधार पर किसी बने बनाये नियम के अनुसार चलती है उससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर है। मनुष्य का शरीर भी जितनी जटिल प्रक्रिया से बना है उससे आभास होता है कि उसका बनाने वाला कोई अवश्य होगा। किन्तु साथ ही यह प्रश्न भी खडा होता है कि यदि मानव शरीर और प्रकृति को किसी ने बनाया है तो उस बनाने वाले को किसने बनाया? मैं कभी इन दोनों प्रश्नो का उत्तर नही खोज सका। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि चाहे ईश्वर हो या न हो किन्तु हमें ईश्वर के अस्तित्व को मान लेना चाहिये। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाये घटी जिनके आधार पर मैंने यह माना कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मेरी सहायता की जा रही है। उन घटनाओं ने भी मुझे ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिए मजबूर किया। मुझे यह पूरा विश्वास है कि मूर्तियॉ या मूर्तियों में कोई अलग से ईश्वर नहीं है किन्तु मैं मूर्ति पूजा पर पूरी तरह अविश्वास करते हुए भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता क्योंकि कुछ वर्षो तक आर्य समाज में सक्रिय रहने के बाद मैंने यह महसूस किया कि मेरी तर्क शक्ति बहुत तेजी से बढ रही है और श्रद्धा घट रही है। अर्थात मैं धीरे–धीरे नास्तिकता की ओर बढ रहा हूॅ। कर्मकांड तो छूट गया किन्तु यज्ञ पर विश्वास बढने की अपेक्षा यज्ञ भी औपचारिक होने लगा। इसलिए मैंने उचित समझा कि मूर्ति पूजा का विरोध करना अकर्म है, आवश्यक नहीं, उचित भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी दयानंद ठीक समझते थे कि ईश्वर निराकार है, मूर्ति पूजा निरर्थक है। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में समाज के ठीक–ठीक संचालन के लिए मूर्तियां भय पैदा करती है तो जब तक उसका अच्छा विकल्प न बने तब तक उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मार्क्स ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करके राज्य को तैयार करने का प्रयास किया था। उनका मानना था कि राज्य को एक ऐसी अदृश्य शक्ति के रूप में खडा किया जाये जो धीरे–धीरे अपने आप अदृश्य हो जाये और समाज उस

अदृश्य शक्ति से भयभीत होकर ठीक चलता रहे। इसलिए मार्क्स ने कहा था कि मार्क्सवाद का चरम उत्कर्ष होगा जब राज्य पूरी तरह अदृश्य हो जायेगा। स्टेट शैल विदर अवे। दुर्भाग्य से वह राज्य अदृश्य होकर समाज को काल्पनिक भय से संचालित करने के ठीक विपरीत दृश्य भय के रूप में गुलाम बनाकर रखने लगा अर्थात साम्यवाद अदृश्य शक्ति की जगह तानाशाही में बदल गया और यह स्पष्ट है कि साम्यवाद दुनियां में सबसे बुरी व्यवस्था है। साम्यवाद ने सारी दुनियां में अव्यवस्था पैदा की और अब धीरे–धीरे साम्यवाद से पिंड छूट रहा है अर्थात साम्यवाद प्रभावित देशों में भी ईश्वर को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है।

ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को एक शक्ति के रूप में मानते है, किसी व्यक्ति या जीव के रूप में नहीं, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान।, ईसाई मुसलमान भी खुदा और पैगम्बर को अलग–अलग मानते है तो ईसाई भी गॉड और यीशू को एक नहीं मानते है। स्पष्ट है कि महापुरूष धीरे–धीरे भगवान कहे जाते है। ऐसे ही भगवानों में बुद्ध, महावीर और राम कृष्ण भी हुये। अब तो कुछ लोग साई बाबा को भी उस दिशा में आगे बढा रहे है। वैसे तो रजनीश को भी भगवान कहना शुरू कर दिया गया था किन्तु इन सबको भगवान मानने की एक सीमा है। उन्हें ईश्वर नहीं माना जाता है। यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से समाज में भय पैदा करने के लिए कुछ ऐसी काल्पनिक दंत कथाएं जोड दी जाती है जो इन महापुरूषो की लौकिक घटनाओं को अलौकिक सिद्ध कर देती है। हो सकता है कि कुछ घटनाएं वास्तविक भी हो किन्तु अधिकांश घटनाएं काल्पनिक और कहानियों के रूप में होती है। इसलिए हमें चाहिए कि यदि कोई घटना तर्क संगत नहीं है तो किसी महापुरूष को स्थापित करने के लिए हमें उस घटना का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें ऐसी काल्पनिक घटनाओं का विरोध करने में भी शक्ति नहीं लगानी चाहिए क्योंकि हम स्पष्ट नहीं है कि घटना असत्य ही है और यह भी साफ नहीं है कि उस काल्पनिक घटना का समाज में बुरा प्रभाव पडेगा ही। मैं देखता हूॅ कि अनेक लोग अपना सारा काम छोडकर अंध विश्वास निवारण को अपना व्यवसाय बना लेते है। मैं इसे ठीक नहीं मानता। अंध विश्वास दूर होना चाहिए यह सही है किन्तु यह प्रयत्न दुधारी तलवार के समान है जिसका लाभ भीं हो सकता है और नुकसान भी। मैंने स्वयं अपने परिवार और सीमित मित्रों के बीच अंध विश्वास दूर करने का पूरा प्रयास किया किन्तु मैं देख रहा हूॅ कि अंध विश्वास कम होते–होते ईश्वर के प्रति विश्वास भी कम होता जा रहा है।

ईश्वर का अस्तित्व तर्क का विषय न होकर श्रद्धा और विश्वास का है। हमारा प्राचीन विश्वास रहा है कि ईश्वर है। पहले मुसलमानों और बाद में अंग्रेजों की गुलामी ने हमारी प्राचीन विद्वत्ता और वैज्ञानिक क्षमता पर संदेह पैदा करके यह समझाया कि भारत प्राचीन समय में वैज्ञानिक आधार पर बहुत पिछडा था। यहां तक झूठ समझाया गया कि आर्य विदेशों से आये और आदिवासी यहां के मूलनिवासी थे। स्वतंत्रता के बाद हम भौतिक गुलामी से मुक्त होकर साम्यवाद समाजवाद की वैचारिक गुलामी से जकड गये। परिणाम हुआ कि हमारी प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियां और अधिक संदेह के घेरे में आ गयीं। हर पढा, लिखा भारतीय यह समझने लगा कि जो कुछ प्राचीन था वह अधिकांश अंधविश्वास था। मैं इससे सहमत नहीं। मैं समझता हूॅ कि प्राचीन समय की कुछ मान्यताएं अंधविश्वास हो सकती हैं तो कुछ वैज्ञानिक आधार पर भविष्य में प्रमाणित भी हो सकती हैं। हमारी पुरानी मान्यता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है और जब तक यह पूरी तरह प्रमाणित न हो जाये कि ईश्वर नहीं था, न है, तब तक यदि कोई ईश्वर को मानता है तो गलत नहीं। मेरा सुझाव है कि हम ईश्वर भूत प्रेत तंत्र मंत्र पूजा के अस्तित्व को माने या न माने यह हमारी स्वतंत्रता है किन्तु इन मान्यताओं का खुलकर विरोध करना भी उचित नहीं, जब तक कोई मान्यता पूरी तरह अंध विश्वास और समाज के लिए घातक सिद्ध न हो जाये। मेरा तो ईश्वर पर विश्वास है किन्तु यदि किसी को नहीं है तो यह उसका व्यक्तिगत विश्वास है। मैं उसे अपना विश्वास बता सकता हूॅ किन्तु उसे सहमत करने का प्रयत्न उचित नहीं क्योंकि ईश्वर तर्क का विषय न होकर श्रद्धा विश्वास तक सीमित है।

मैं हरि अनंत हरि कथा अनंता पर विश्वास करता हूॅ। ईश्वर की चर्चा भी अनंत काल से चलती रही है और चलती रहेगी। उसी कडी में मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूॅ और आपसे भी अपेक्षा करता हूॅ कि आप इस संबंध में अपने विचार देकर इस चर्चा को आगे बढायेगे।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न–1 यदि हम समझते है कि ईश्वर नहीं है तो फिर ईश्वर को मानने का ढोंग करने की आवश्यकता क्या है?

उत्तर–जो लोग समाज के मार्गदर्शक होते है उनका दायित्व होता है कि वे समाज को सत्य के साथ–साथ सहजीवन की ट्रेनिंग भी दे। अनेक ऐसे अवसर आते है जब सत्य का उदघाटन बडी मात्रा में समाज के लिए घातक हो जाता है। ऐसी स्थिति में सत्य छिपाना भी पडता है और विशेष परिस्थिति में झूठ बोलना भी मजबूरी हो जाती है। लगभग 90 प्रतिशत लोग किसी न किसी भय के कारण ठीक मार्ग पर चलते है और सहजीवन अपनाते है। स्वाभाविक है कि किसी दृश्य भय अर्थात सरकार के द्वारा ब्लैकमेल का खतरा अधिक रहता है इसलिए एक अदृश्य भय के रूप में ईश्वर की मान्यता को समाधान के

रूप में मान लेना गलत नहीं है। ढोंग शब्द का उपयोग इसलिए गलत है क्योंकि ईश्वर को मानने वाले का उददेश्य गलत नहीं है बल्कि जनहित है। डॉक्टर अगर कडवी दवा मीठी चासनी में लपेटकर दे और मीठा बतावे तो उसे ढोंग नहीं कह सकते है।

प्रश्न–2 आम तौर पर ईश्वर और भगवान एक ही माने जाते है। आप अलग कैसे कर रहे है?
उत्तर–आम तौर पर इन दोनो को अलग–अलग माना जाता है। दोनो अलग–अलग है ही। मैं अलग नहीं कर रहा हूॅ।

प्रश्न–3 भगवान और महापुरूष अलग–अलग होते है। एक नहीं।
उत्तर–महापुरूष ही लम्बे समय के बाद भगवान मान लिये जाते है। वर्तमान समय में गांधी महापुरूष है कालांतर में भगवान भी कहे जा सकते है। यदि रजनीश के विचारों की मान्यता कम नहीं होती तो भगवान माने जा सकते थे। राम कृष्ण, बुद्ध महावीर पहले महापुरूष माने गये और बाद में भगवान।

प्रश्न–4 माता पिता और गुरू जीवित होते हुये भी प्रारंभ में भय का सहारा लेते है क्या गलत है?
उत्तर–जीवित व्यक्ति द्वारा यदि ठीक ठीक उददेश्य के लिए भय का सहारा लिया जाये तो कोई हर्ज नही किन्तु गलत उददेश्य का भी उपयोग किया जाता है इसलिए मृत महापुरूषों अथवा अदृश्य ईश्वर का भय इस ब्लैकमेल के खतरे से मुक्त रखता है।
प्रश्न–5 मार्क्स ने क्या तरीका खोजा था।
उत्तर–मार्क्स की नीयत ठीक थी किन्तु ऑकलन गलत हुआ। मार्क्स मानते थे कि धीरे–धीरे ईश्वर का भय कम हो रहा है और समाधान के रूप में राज्य शक्ति को अदृश्य भय के रूप में मजबूत होना चाहिए। मार्क्स ने धर्म को अफीम और ईश्वर को अनावश्यक ढोंग माना। धर्म और ईश्वर का प्रभाव तो घटा साथ ही राज्य का अदृश्य भय भी बढा किन्तु राज्य अदृश्य न होकर तानाशाही मे बदल गया। लेनिन के बाद स्टेलिन ने जिस तरह इस तानाशाही का दुरूपयोग किया वह दुनियां जानती है। मार्क्स ने व्यवस्था की जगह व्यक्ति पर अधिक विश्वास किया जिसका दुश्परिणाम हुआ कि मार्क्स वाद असफल सिद्ध हो रहा है।

प्रश्न–6 मेरे विचार में कोई भी दार्शनिक यह नहीं समझता कि ईश्वर नहीं है। यदि समझता तो दूसरों को झूठ नहीं बोलता।
उत्तर– बुद्ध भी एक दार्शनिक हुये और चार्वाक भी। मार्क्स को भी हम दार्शनिक कह सकते है। इन सब लोगो ने सत्य को उसी स्वरूप में सामने रखकर समाज का नुकसान ही किया है, लाभ नहीं।

प्रश्न–7 क्या ईश्वर साकार होते ही नहीं है।
उत्तर–मेरे विचार से तो नही होते ही नहीं है क्योकि काल्पनिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने प्रकृति की रचना की। प्रत्येक साकार वस्तु प्रकृति का भाग है इसलिए ईश्वर के बाद ही कोई ही साकार का अस्तित्व आया। स्वाभाविक है कि ईश्वर ने ईश्वर नहीं बनाया होगा। इसलिए ईश्वर साकार हो ही नहीं सकता।

प्रश्न–8 क्या आप मानते है कि ईश्वर खुदा गॉड सिर्फ नाम का फर्क है अस्तित्व का नहीं।
उत्तर– मैं मानता हूॅ कि यह सब शब्द भाषा के फर्क है वास्तव में सभी एक है। यह अवश्य है कि महापुरूषों ने कुछ अंतर कर दिया है।

प्रश्न–9 आप आर्य समाज से जुडे है। क्या आप मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते?
उत्तर–मूर्ति पूजा निरर्थक कर्म हो सकती है दुश्कर्म नहीं जब समाज में अनेकों प्रकार के दुश्कर्म बढते जा रहे है तो मैं अपना मूल्यवान समय मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं लगा सकता। यदि कोई मुझसे जानना चाहता है या सलाह लेना चाहता है तो मैं उसे उचित सलाह दे देता हूॅ। यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने एक बांस पर बार बार चढ उतर रहा है तो मैं उसे रोकने की कोशिश निरर्थक मानता हूॅ क्योकि मैं उससे महत्वपूर्ण कार्य करने की क्षमता और आवश्यकता मानता हूॅ। मैं स्वामी दयानंद का अनुकरण नहीं करना चाहता बल्कि जहां तक विचार करके उनके विचार रूक गये है उन्हें चिंतन और मंथन के माध्यम से आगे बढाना चाहता हूॅ। मैं दयानंद के विचारों को अंतिम सत्य नहीं मानता और यदि कहीं परिस्थिति जन संशोधन की आवश्यकता हो तो विचार करने के लिए सहमत हूॅ। मैं अपने को आर्य मानता हूॅ। ईश्वर और यज्ञ पर विश्वास करता हूॅ लेकिन आर्य समाजी नहीं मानता।

प्रश्न–10 क्या मूर्तियों में ईश्वर नही होता है?

उत्तर–व्यक्ति में ईश्वर भी होता है और आत्मा भी। मूर्तियों में तो ईश्वर ही होता है आत्मा नहीं होती इसलिए मूर्ति को व्यक्ति ईश्वर माने यह समझ में नही आता। फिर भी यदि कोई मूर्ति को ईश्वर मान कर अदृश्य भय से संचालित होता है तो मैं उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करूॅगा। क्योंकि वह कोई दुश्कर्म नही कर रहा है।

प्रश्न–11 क्या विश्वास और श्रद्धा में कोई अंतर होता है?
उत्तर– मुझे अंतर महसूस होता है किन्तु मैं अभी स्पष्ट करने की स्थिति में नही हूॅ। भविष्य में और चर्चा होगी।
प्रश्न–12 जब आप मानते है कि ईश्वर नही तो चर्चा करने में क्या आपत्ति है?
उत्तर–मैं तर्क के आधार पर ईश्वर को नहीं मानता किन्तु विश्वास के आधार पर मानता हूॅ । मुझे विश्वास है कि ईश्वर है और यदि नहीं भी हो तो मान लेना अधिक उपयोगी है। ऐसी स्थिति में ईश्वर के अस्तित्व पर किसी प्रकार की चर्चा बहस हानिकारक ही होगी, लाभदायक नही। क्योंकि ईश्वर तो तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।

प्रश्न–13 क्या प्रकृति कल्पनातीत है?
उ–प्रकृति की सीमाओं और शक्ति की अंतिम सीमा की कल्पना नहीं कि जा सकती इसलिए कल्पना करना व्यर्थ है। जब प्रकृति कल्पना से बाहर हो जाती है तब ईश्वर का अस्तित्व शुरू हो जाता है।

प्रश्न–14 क्या नास्तिकों ने भूल की है।
उत्तर– मैं तो ऐसा समझता हूॅ कि नास्तिकों ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण समाज के बीच सहजीवन का विस्तार भी है। नास्तिकों ने सहजीवन को नुकसान पहुंचाया। नास्तिकों ने नैतिकता की जगह भौतिकवाद को अधिक महत्व दिया। मैं इसे भूल मानता हूॅ। मैं स्वतंत्रता और सहजीवन के संतुलन का पक्षधर हूॅ।

प्रश्न–15 क्या आप वर्ग व्यवस्था के पक्षधर है?
उत्तर–मैं ऐसा मानता हूॅ कि वर्ग व्यवस्था उपयोगी है वर्तमान मैं जन्म के आधार पर स्थापित वर्ण व्यवस्था की विकृति ने समाज व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है बल्कि विकृति गलत है। अब नये तरीके से वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें मार्गदर्शक रक्षक पालक और सेवक के आधार पर समाज में चार वर्ण बने।

प्रश्नोत्तर
अपनो से अपनी बात

प्रश्न–1 बुद्धि प्रधान लोग जो आपके साथ जुडे रहे वे क्यों संविधान संशोधन के अधिकारों के बदलाव से सहमत नहीं हुये।
उत्तर– अधिकांश बुद्धि प्रधान लोग उसी कार्य में सक्रिय होते है। जहां उन्हें कुछ लाभ या प्रगति के अवसर दिखते है। इस प्रकार के अधिकांश लोग राजनीति से जुडे होते है लेकिन यदि उन्हें विश्वास हो जाये कि उनकी मांग उनके अधिकार कम कर देगी तो वे अपना भविष्य नहीं बिगाडना चाहते। यदि संविधान संशोधन के अधिकारों में ही कटौती हो जायेगी तो कोई राजनीति क्यों करे। वर्तमान समय में राजनीति अप्रत्यक्ष व्यवसाय बन गयी है और उसका समाज से सेवा से कोई संबंध नही।

प्रश्न–2 क्या सभी बुद्धि प्रधान लोग ऐसा ही सोचते है।
उत्तर–सबके विषय में कहना तो ठीक नहीं है किन्तु अधिकांश ऐसा ही सोचते है। बुद्धि प्रधान लोग पहले समस्या के समाधान में सक्रिय दिखते है और विश्वास दिलाते है कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है किन्तु भविष्य में वे स्वार्थ की लाइन पर चल पडते है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग यह है कि किसी पर विश्वास न किया जाये।

प्रश्न–3 आखिर किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही होगा?
उत्तर–हम सामूहिक रूप से किसी पर क्यो विश्वास करे। व्यक्तिगत रूप से कोई किसी पर कर सकता है। समस्याओं के समाधान केन्द्रीय स्तर न करके विकेन्द्रीय स्तर किये जाये। व्यक्ति की व्यक्तिगत परिवार की पारिवारिक और गांव की गांव संबंधी समस्याएं वे स्वयं सुलझावें और उसमें कोई अन्य हस्तक्षेप न करें।

प्रश्न–4 क्या आप भौतिक उन्नति के विरूद्ध है?

उत्तर–यदि भौतिक उन्नति नैतिक पतन की कीमत पर होती है तो मैं उसके विरूद्ध हूॅ । मेरे विचार में ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिससे नैतिक पतन न हो और भौतिक उन्नति भी होती रहे। भौतिक उन्नति की तुलना में नैतिक पतन अधिक घातक है।

प्रश्न–5 शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है?
उत्तर– शिक्षा व्यक्ति की क्षमता का विकास करती है और ज्ञान उसे उचित अनुचित को अलग–अलग करने की क्षमता देता है। ज्ञान सिखाता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं। जबकि शिक्षा सिखाती है कि वह अपना निर्णय किस प्रकार किस तरीके से सफलता पूर्वक कार्यांवित कर सकता है। ज्ञान को हमेशा सकारात्मक माना जाता है किन्तु शिक्षा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी।

प्रश्न–6 क्या वर्ग विद्वेष के विस्तार में साम्यवाद ही अकेला दोषी है?
उत्तर–साम्यवाद को छोडकर कोई अन्य ऐसा बेशर्म संगठन नहीं है जो खुले आम वर्ग निर्माण वर्ग संघर्ष की वकालत करता हो। अन्य संगठन वर्ग विद्वेष भी फैलाते है और वर्ग समन्वय की भी बात करते है किन्तु साम्यवाद पूरी तरह वर्ग समन्वय के विरूद्ध है।

प्रश्न–7 ऐसा क्यों हो रहा है? कि लोगों का हिंसा पर विश्वास बढ रहा है।
उत्तर–यदि राज्य अपराधियों को दंड देना सुनिश्चित नही करेगा तब लोग अपनी सुरक्षा की चिंता स्वयं करते है और ऐसी चिंता करने में कानून अपने हाथ में ले लेते है। राज्य यदि स्वयं को सुरक्षा और न्याय तक सीमित कर ले तो हिंसा पर विश्वास घटना शुरू हो जायेगा। कैसी दुर्दशा है कि न्यायपालिका बीस–बीस वर्ष तक हत्या और बलात्कार के मुकदमों का तो निपटारा नहीं करती है और जनहित की परिभाषा बनाने में अपना समय लगाती है। पर्यावरण बिगड रहा है इसकी चिंता न्यायालय की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिये बल्कि अपराधिक मुकदमों का त्वरित न्याय उसकी प्राथमिकता होनी चाहिये।

प्रश्न–8 विपरीत विचारों के लोग एक साथ नही बैठते इसमें सबसे ज्यादा दोष किसका है?
उत्तर– इसमें सबसे अधिक दोष राजनेताओं का है। दलीय प्रणाली इसमें सबसे अधिक घातक भूमिका निभाती है। दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिये। संगठनों की मान्यता भी समाप्त कर देनी चाहिये संगठन भी गुट बनाने में बहुत भूमिका निभाते है। मैं स्पष्ट कर दू कि विपरीत विचारों के लोग यदि एक साथ बैठकर स्वतंत्र विचार मंथन करने लगे तो अनेक समस्याएं अपने आप सुलझ सकती है।

प्रश्न–9 इस समस्या का समाधान क्या है?
उत्तर–अब समाज में बुद्धि प्रधान और भावना प्रधान का विभाजन समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को समझदारी की और बढाने का प्रयास करना चाहिये। ज्ञान यज्ञ इस दिशा में निरंतर सक्रिय है।

प्रश्न–10 इस समस्या का समाधान क्या है?
उत्तर–राजनीति में अधिकार अर्थात शक्ति जनता की अमानत होती है उनका अधिकार नहीं। भारत का वर्तमान संविधान इस संग्रह प्रवृत्ति के बढने में सबसे अधिक दोषी है क्योंकि संविधान राजनेताओं को अपने अधिकार स्वयं बढा लेने का अधिकार देता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह दिखता है कि राजनेताओं के अधिकार जनता की अमानत न होकर उनका संवैधानिक अधिकार है। सबसे पहले हमे प्रयत्न करना होगा कि संविधान राजनैतिक गुलामी से मुक्त हो जाये।

प्रश्न–11 किसी व्यक्ति में समझदारी बढे इसके लिए उसे क्या करना चाहिये?
उत्तर–उसे ज्ञान यज्ञ से जुडना चाहिये। जो लोग ज्ञान यज्ञ से जुड जाते है उनमें भावना और बुद्धि का तथा शराफत और चालाकी का समन्वय होना शुरू हो जाता है। यह समन्वय ही समझदारी है।

प्रश्न–12 आप कैसे दावा कर सकते है कि ज्ञान यज्ञ दुनियां का ऐसा अकेला प्रयास है?
उत्तर– मैं दावा नहीं कर रहा किन्तु यह निवेदन अवश्य कर रहा हूॅ कि कोई और संस्था इस दिशा में सक्रिय हो तो ज्ञान यज्ञ परिवार उसे सहयोग करने के लिये तैयार है। ज्ञान यज्ञ परिवार एक संस्था है, संगठन नहीं। इसलिए दावा करने का कोई प्रश्न नहीं है न ही कोई आवश्यकता है। अन्य संस्थाएं इस दिशा में काम करे तो हमें खुशी होगी। इतना अवश्य है कि हमारे विचार में शराफत और चालाकी अथवा भावना और बुद्धि के बीच समन्वय होकर समझदारी विकसित हो यही वर्तमान समस्याओं का एक मात्र समाधान है चाहे यह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हो अथवा किसी अन्य माध्यम से।

प्रश्न–13 जब रामनानुजगंज में इसके अच्छे परिणाम दिखे तो अन्य दूसरी जगह के लोगों ने इसे क्यों नहीं अपनाया।
उत्तर– बुद्धि प्रधान लोग भावना प्रधान लोगों का मार्गदर्शन करते है और बुद्धि प्रधान लोगो को यह प्रयास हानिकारक लगता है इसलिए उन्होंने इस मार्ग को आगे बढाने में रूचि नहीं दिखाई। भावना प्रधान लोगों की क्षमता नहीं थी और बुद्धि प्रधान लोग चाहते नहीं थे इसलिए यह प्रयास स्वयं आगे नहीं बढा। अब ऋषिकेश से संस्थान के माध्यम से इस आवश्यकता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न–14 ज्ञान यज्ञ परिवार से जुडने के लिए हमें क्या करना होगा।
उत्तर–एक संकल्प पत्र है जो इस प्रकार है पी1 आप संकल्प पत्र भरकर फेसबुक, व्हाट्सअप अथवा डाक द्वारा ऋषिकेश या अम्बिकापुर कार्यालय को भेज सकते है। आप यदि फोन से भी सूचना दे सकते है कि आपको इस परिवार से जुडा हुआ मान लिया जाए आप भविष्य में संकल्प पत्र द्वारा अन्य विवरण दे देगे। आप फोन व्हाटस अप अथवा फेसबुक के द्वारा अपना फोन नंबर भेज देगे तो ज्ञान यज्ञ परिवार कार्यालय आपसे संपर्क कर लेगा।

प्रश्न–15 इस मोबाइल नंबर पर संपर्क किस प्रकार करना पडेगा।
उत्तर– आप इस मोबाइल नंबर फेसबुक या व्हाटसअप के द्वारा अपना मोबाइल नंबर डाल दे तो हम समझ लेगे कि आप इस संबंध में अधिक सक्रिय होना चाहते है। हमारा कार्यालय आपसे संपर्क करेगा। आपको स्पष्ट कर दे कि दो और तीन फरवरी को नोएडा में इस संबंध में विस्तृत चर्चा आयोजित है वहां भी आप शामिल हो सकते है वहां ज्ञान यज्ञ प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्ण मासी तक पंद्रह दिनों का ज्ञान यज्ञ ऋषिकेश में आयोजित होगा। इसमें तीस अलग–अलग विषयों पर स्वतंत्र विचार मंथन होगा। उसमें भी आप सब शामिल हो सकते है अन्य जानकारी आप पत्र या फोन द्वारा ले सकते हैं।

लेख
आज देश को फिर एक 'गांधी' की जरूरत– एन.के. सिंह

किसी शोधकर्त्ता की गणना के अनुसार इस दुनियां में 3 करोड 30 लाख कानून है। लेकिन हत्या, बलात्कार तो छोडिए, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक और वैयक्तिक चरित्र से जुडे अपराध बढते गए हैं। शिक्षा बढी, आय बढी, जीवन प्रत्याशा बढी तो अपराध और अनैतिकता भी बढी। दरअसल अपराध का समाज में तत्कालीन नैतिक मानदंडों के प्रति आग्रह या दुराग्रह से सीधा रिश्ता होता है और अगर इन नैतिक मानदंडों की अनदेखी होगी तो समाज अपराध से मुक्ति नहीं पा सकेगा। कानून और उसे अमल में लाने वाला तंत्र तो मात्र एक छोटा सा पक्ष है।

गलत अवधारणा यह है कि आर्थिक अभाव अपराध को जन्म देते हैं। हाल के दौर में विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक को देखें, शीर्ष पर बैठे अधिकारियों और राजनेताओं पर लगे आरोपों को देखें तो लगता है कि सत्ता की शक्ति, अनैतिकता और उससे पैदा हुए अपराध के बीच समानुपातिक संबंध है यानी जितना ताकतवर उतना अनैतिक। शायद उस समुद्री डाकू जिसे सिकन्दर 'महान' ने बंदी बनाया, को यह बात मालूम थी। सिकन्दर ने दरबार में फैसला करते समय जब उससे पूछा कि डकैती और हत्याएं क्यों करते हो तो उसने जवाब में कहा जहांपनाह करते तो आप भी यही हैं लेकिन चूंकि आप बडी सेना के सहारे पूरी जमीन और देश हडप लेते है तो आपको महान राजा कहा जाता है जबकि हम कुछ लोग मिलकर छोटी–छोटी लूट करते हैं तो हमें डाकू कहा जाता है।

अंग्रेजों के जमाने से ही चली आ रही व्यवस्था के तहत हम ज्ञान की लिखित परीक्षा लेकर लोक सेवा के नौकरशाहों यानी लोक सेवा के अधिकारी जैसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. चुनते हैं। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा में उनसे यह पूछता है कि गरीबी नापने का महालनोबिस काल में फार्मूला क्या था और एन. सी. सक्सेना तक आते–आते इसमें क्या–क्या परिवर्तन हुए। इंटरव्यू बोर्ड में भी बडे–बडे जानकार उससे ब्राजील के विकास मॉडल पर चर्चा करते है लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं होती कि यह नौकरी में आने से कितने समय बाद भ्रष्ट हो जाएगा और विकास के लिए आए पैसों को भ्रष्ट तरीके से हडप कर देश को और गरीब बनाता रहेगा।

हमारे पास नैतिक गुणांक (मोरल कोशैंट) मापने का कोई तरीका नहीं होता। नतीजा यह होता है कि अपनी सेवा काल के 30 साल बाद जब कोई सी.बी.आई. डायरैक्टर 28 साल के सेवा काल के किसी अफसर का भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करता है और दूसरे दिन वह जूनियर अफसर अपने सीनियर के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला लाता है तो पता चलता है कि इस हमाम में बगैर कपडे के केवल वही नहीं, वे लोग भी है जो जनता के वोटों से मंत्री बन संविधान में निष्ठा की शपथ लिए हैं। साथ ही इस लपेटे में रॉ, इंटैलीजैंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ही

नहीं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और आखिर में प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी आ जाते है। अगर ये छींटें गलत पडे हैं तो वे भी शीर्ष पर बैठे लोगों ने ही डाले है।

और तब सवाल यह उठेगा कि अगर कोई निदेशक इतना अनैतिक है कि इन शीर्ष लोगों पर झूठे आरोप लगा कर जन–विश्वास की धज्जियां उडा रहा है तब यह पिछले 30 सालों से तमाम पदों पर क्या–क्या अनैतिक कार्य कर चुका है? अगर आरोप सही हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या एक व्यक्ति भी इन शीर्ष संस्थाओं पर ऐसा नहीं है जो फौलादी नैतिकता का धनी हो? क्या इसी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 अगस्त, 1827 को बोलते हुए प्रधानमंत्री लायड जॉर्ज ने भारत की अफसरशाही को 'फौलादी ढांचे' की संज्ञा दी थी और जिसे सरदार पटेल ने भी संविधान बनाते हुए तमाम विरोधों के बावजूद बदस्तूर जारी ही नहीं रखा, बल्कि इस फौलादी ढांचे को मजबूत करते हुए संविधान के अनुच्छेद 311 में और एक दीवार बना कर सुरक्षित कर दिया।

हमने चोरी पकडने के लिए पुलिस बनाई, फिर उसकी चोरी पकडने के लिए विजीलैंस डिपार्टमैंट बनाया। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो आजादी मिलने के 14 साल बाद पंडित नेहरू ने संथानम समिति की रिपोर्ट पर अमल करते हुए देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए केन्द्रीय सतर्कता (विजीलैंस) आयोग बनाया और इसे कानूनी रूप से मजबूत किया। फिर इन सबकी चोरी पकडने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 बनाया, फिर इसे तीन बार संशोधित कर ताली बजाई कि बहुत मजबूत हो गया है और इसमें प्रावधान रखा कि जो घूस देगा उसे भी सजा–मानो घूस कोई बहुत खुश हो कर देता है।

गणतंत्र बनने के लगभग 36 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि विकास के एक रूपये में मात्र 15 पैसे जमीन पर पहुंचते है। सन् 2011 तक आते–आते अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ खडे होते हैं और पूरा देश उनके साथ हो जाता है। जबकि उनका फार्मूला था 'मजबूत लोकपाल' यानी पटेल के प्रशासनिक 'फौलादी ढांचे' को भ्रष्टाचार रूपी जंग से ढहने से बचने के लिए एक और संस्था। अन्ना शायद यह भूल गए कि सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी और उसमें केवल अरविन्द केजरीवाल पैदा हो सकेगा।

सी.बी.आई. के दो शीर्ष अधिकारियों में जब भ्रष्टाचार के आरोप–प्रत्यारोप के प्रहार चले तो देश को एक बाद फिर झटका लगा। यह झटका विश्वास की बुनियाद में भूकम्प की मानिंद था जब 18 साल की आई.पी.एस. की नौकरी वाले एक डी.आई.जी. एम के सिन्हा ने पूरे फौलादी ढांचे की कलई खोल कर रख दी।

जब देश के इतिहास में पहली बार देश को सबसे बडी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के 4 वरिष्ठतम जजों ने अपने ही मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाए तो एक बार जनता का विश्वास पूरी तरह हिल गया था। चिंता यह पनपी कि क्या यह देश तीस ऐसे जज भी नहीं दे सकता जो आरोप–शून्य व्यक्तित्व के धनी हों? फिर यह आरोप प्रैस कांफ्रैंस में लगाए गए, यानी देश के शीर्ष 5 जज किसी विवाद को आपस में ही नहीं सुलझा सके। तीन जजों की बैंच अगर किसी को फांसी देती है तो अंतिम फैसला होता है और पांच जजों की संवैधानिक पीठ तो संविधान को परिभाषित ही नहीं, बदलने की क्षमता रखती है। फिर उन्हें क्यों मीडिया के पास जाना पडा?

दरअसल नैतिकता का पाठ दो संस्थाएं पढाती हैं–मां की गोद और प्राइमरी का शिक्षक (मास्साब)। मां ने बच्चा 'आया' को थमा दिया या 'डे केयर' में डाल कर वेतन कमाने पहुंच गई ताकि अपनी पडोसन की तरह वह भी बडी गाडी ले सके और शिक्षक वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। लिहाजा समाज की फैक्ट्री में अच्छे लोग शायद बनना बंद हो गए। आज जरूरत है किसी गांधी की जिसकी मकबूलियत सौ साल पहले की तरह इतनी हो कि लोग उसमें ही अपना 'विधाता' देखें। शायद इस गांधी पर सत्ता के कुप्रभाव बेअसर रहेंगे और वह लंगोटी पहने कुटिया से नैतिकता का संदेश दे सकेंगे।

समीक्षा– आपका लेख बहुत ही सुलझा हुआ है और समस्या की जड तक स्पष्ट करता है। मैं बचपन से ही मानता रहा हूॅ कि नैतिकता की ट्रैनिंग देना परिवार, गांव, समाज का काम है, राज्य का नहीं। राज्य का हस्तक्षेप नैतिकता की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। ज्यों–ज्यों राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा त्यों–त्यों अनैतिकता बढती चली गई और जिस गति से अनैतिकता बढी उसी गति से भ्रष्टाचार भी बढता चला गया। वर्तमान समय में अनैतिकता और भ्रष्टाचार वृद्धि का कारण राज्य और राजनेताओं के पास बढती हुई शक्ति को माना जाना चाहिए। इस सब का समाधान राज्य के पास बढ़े हुए अधिकारों का अकेन्द्रीयकरण या विकेन्द्रीयकरण हो सकता है अर्थात परिवार, गांव, जिले को अधिकार दे दिए जाए और राज्य स्वयं को सुरक्षा और न्याय तक सीमित कर ले। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि तंत्र के तीनों अंग

कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अब तक अपराध, गैरकानूनी और अनैतिक को अलग–अलग परिभाषित भी नहीं कर पाते। सबसे पहले तो इन्हें इन तीनों की परिभाषा समझने को पहल करनी होगी।

आपने भ्रष्टाचार की व्यापक व्याख्या की है लेकिन उसके समाधान पर कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया। मेरे विचार से राज्य की शक्ति सिर्फ दो प्रतिशत तक अपराध नियंत्रण की होती है। यदि अपराध इससे अधिक होगे तो राज्य नहीं रोक सकता। वर्तमान समय में अपराध और गैरकानूनी को मिलाकर निन्यानवे प्रतिशत लोग अपराधी है इसलिए भ्रष्टाचार भी नही रूक सकता। इसके समाधान के लिए किसी गांधी की आवश्यकता नहीं है बल्कि गांधी विचार ही पर्याप्त है जिसके अनुसार राज्य को अपने अधिकार, दायित्व और हस्तक्षेप कम कर देना चाहिए। वर्तमान समय में आर्थिक मामलों में अधिकतम निजीकरण होगा चाहिए, सरकारीकरण तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि किसी भ्रष्ट व्यवस्था के भ्रष्टाचार मुक्त होने के पूर्व उसे अधिक अधिकार देना और लेना या तो देने वाले की मुर्खता है या लेने वाले का स्वार्थ। दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए अच्छा यह होगा कि हम अधिकतम निजीकरण को प्रोत्साहित करें। हर धूर्त नेता सारी आर्थिक शक्ति अपने पास समेटना चाहता है। स्कूलों और अस्पतालों की फीस कितनी हो ये तय करना राज्य का काम नहीं है। राजनेता अपने चापलूसों से तथा अपनी कृतज्ञ मीडिया से पहले ऐसी आवाज उठवाते है और फिर स्कूल, अस्पताल की फीस तय कर देते है। परिणाम होता है स्कूलों अस्पतालों का स्तर गिरता है और सत्ता को भ्रष्टाचार की छूट मिल जाती है। पूरा देश जानता है कि वर्तमान समय में तंत्र से जुडे तीनों अंग ओवर लोडेड है। वे अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे है। किन्तु प्रतिदिन नये–नये कानून बनाकर अपने दायित्व और हस्तक्षेप बढाते जाते है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार और स्वार्थ उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित और मजबूर करते है। यदि भ्रष्टाचार के अवसर कम हो जाये तो कानून अपने आप कम हो जायेंगे और यदि कानून कम हो जाये तो भ्रष्टाचार के अवसर अपने आप कम हो जायेंगे। समाज भ्रष्टाचार को नहीं घटा सकता किन्तु कानून घटाने के लिए वह वातावरण बना सकता है। दुर्भाग्य से अन्ना हजारे ने उल्टा किया और आज भी कोई दूसरा हजारे उसी उल्टी दिशा पर चलना चाहता है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही ठीक ढंग से विषय उठाया है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ।

आतंकवाद और सीमाऐं

हितेश कुमार शर्मा

फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह से कर्तारपुर कोरिडोर खोला जा रहा है उसी प्रकार से काश्मीर की पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं भी खोल देनी चाहिए जिससे व्यवापारिक गतिविधियां बढ सकें। वस्तुतः फारूख अब्दुल्ला काश्मीर से अपने परिवार का कब्जा खत्म नहीं होने देना चाहते कभी पत्थरों बाजों की तारीफ करते है। उन्हें जिहादी बताते है कभी स्वतंत्रता सैनिक बताते है और उनकी पैरोकारी में सारी सीमाऐं लांघ जाते हैं। फारूख अब्दुल्ला कई बार कह चुके है कि हिन्दुस्तान पी.ओ.के कभी नहीं ले सकता। आतंकवादी गुसपैठीयों के मरने पर ऑसू बहाने वाले फारूख अब्दुल्ला भारत वर्ष में शान्ति नहीं चाहते। अक्सर काश्मीर की स्वायतत्ता के बारे में बोलते रहते है। श्री कर्तारपुर साहिब में जिस कोरीडोर का शिलान्यास किया जा रहा है। वह भारत वर्ष के लिये बहुत बढा खतरा है। कोरीडोर खोलने से खालीस्तानी आतंकवादी पंजाब में अशान्ति फैलायेंगे। और पाकिस्तानी आतंकवादी शेष भारत में तबाही मचाऐंगें। पहले भी हमारे नेतागण यह प्रयास करते रहे है। कभी समझौता एक्सप्रेस चलाकर और कभी बस चलाकर। अगर यह कहां जाये कि वहां के नेता शान्ति चाहते है तो गलत नहीं होगा। वहां पर फौज शान्ति नहीं चाहती क्योंकि फौज को देने के लिए वहां वेतन नहीं है अतः फौज चाहती है कि हिन्दुस्तान पर हमला करें और लूट मार करें इस लिए वह आतंकवाद को प्रश्रय देती रहती है। आतंकवादी घुसपैठ इसलिए हावी है क्योंकि हम सीमाओं को सील नहीं कर रहें। यदि सीमाओं को सील कर दिया जायें। तो घुसपैठ रूक सकती है लेकिन कुछ लोग जो भारत में शान्ति नहीं चाहते जो भारत में आतंकवाद को निमंत्रित करने के इच्छुक रहते है। वह सीमाओं को सील होने से रोक देते है परिणाम हमारे सैनिको को पाकिस्तानी रेन्जर घात लगाकर अपनी सीमा में खेंचकर ले जाते है और वहां पर बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या कर देते है। हम उस पर बर्बरता का उत्तर भी नहीं दे पाते कि फिर दूसरी घुसपैठ हो जाती है। यह सिलसिला जारी है जरूरत है इसे रोकने की। कोरीडोर खोलना आवश्यक नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा आवश्यक है। पत्थरबाजों पर गोली न चलाना मानवतावादी दृष्टि से उचित है। किन्तु क्या राज केवल मानवतावादी दृष्टि से ही चल सकता है। अथवा राजनीति के कुछ और भी सिद्धान्त है विदेशी नेता लेखक भी कोरीडोर खोलने जाने के संदर्भ में यही राय रखते है कि इससे भारत को हानि होगी। अनगिनत घुसपैठें होने लगेंगी। जब तक आंतकवाद खत्म नहीं होता जब तक घुसपैठें पूरी तरह खत्म नहीं होती तब तक यह कोरीडोर खोलना देश हित में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल कोरीडोर के संदर्भ में रक्षा विशेषज्ञों से राय ली जायें अपनी सेना से राय जी जायें। इस मसले को केवल मुस्लिम परस्त नेताओं के उपर छोड

देना प्रलयंकारी हो सकता है। अतः वर्तमान में कोरीडोर स्थापना को समर्थन नहीं देना चाहिए। तथा जनता को इस संबंध में सोच विचार से अपनी राय केन्द्र सरकार को भेजनी चाहिए।
वास्तव में एक लेखक का यह कहना ठीक है कि भारत इमरान की गुगली में फॅस गया है मैं तो नहीं मानता वास्तव में भारत फॅस गया लेकिन यह मानता हूॅ कि सोची समझी साजिश के अर्न्तगत यह गुगली फैकी गयी है। यह कैपटेन अमरिन्द्र सिंह और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नीचा दिखाने की साजिश है। यदि कोरीडोर खोलते है तो पंजाब में खालीस्तानी घुस आयेंगे और अमरिन्द्र सिंह के पंजाब में शान्ति खत्म हो जायेंगी। और नहीं खोलते है तो सरदार अमरिन्द्र सिंह से नाराज हो जायेगे। यही स्थिति प्रधानमंत्री जी की भी है यदि कोरीडोर का विरोध करते है तो सरदार नाराज होगे। और खोलने देते है तो देश में आतंकवादियों की घुसपैठ बढ जायेगी खालीस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवादी बिना रोक टोक कोरीडोर से भारत में प्रवेश कर सकते है। इस तरह एक सोची समझी साजिश के अंर्तगत इस समय यह गुगली फैकी गयी है। इमरान क्रिकेट के चतुर खिलाडी है और भारत के मित्र कभी नहीं रहे। इस साजिश के संबंध में पूर्ण विचार किया जाना आवश्यक है। और जितने भी लोग इस में लिप्त है उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

समीक्षा– हमें सैद्धांथित आधार पर निर्णय करना है या व्यवाहरिक आधार पर यह तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है हमारे परिवार का सदस्य यदि कोई गलती करता है तो हम उसको डाटे या समझावे यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हमारे डांटने से यदि वह प्रतिक्रिया में आता है और टूट भी सकता है तो हमें लाभ–हानि का ऑकलन करना चाहिए। सभी मुसलमानों पर संदेह करने की हमारी मूर्खता ने एक बार पाकिस्तान बनवा दिया। अब फिर से सभी मुसलमानों पर संदेह करने की गलती नुकसान करेगी लाभदायक नहीं होगी। सभी सिखों पर भी यदि संदेह किया गया तो या मूर्खता और अधिक घातक हो जायेगी। इसलिए मैं आपके सुझाव से सहमत नहीं हूॅ। हमें 98 प्रतिशत सिखों और 95 प्रतिशत मुसलमानों पर विश्वास प्रदर्शित करना चाहिए यदि कोई मुसलमान या सिख मौखिक तो पर पाकिस्तान के पक्ष में भी कोई बात कह दे किन्तु सिर्फ सुझाव तक सीमित रहे। कोई किया में न हो तो हमें उस व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। हम प्रयास करे कि जो दो–तीन प्रतिशत उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों में संग्लन मुसलमान या सिख है उनके साथ अत्यन्त कठोरता का व्यवहार करे। इस तरह आंतकवादी और उग्रवादी अलग–अलग पड जायेगे और हमारा खतरा टल जायेगा।

फारूक अबदुल्ला ने जो कुछ कहा है उसका सिर्फ आधा भाग आपने लिखा फारूक जी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान कभी कश्मीर नहीं ले सकता। इसलिए दोनों देशों को अपनी अपनी सीमाएं मान लेनी चाहिए। मेरे विचार से फारूक अबदुल्ला ने गलत सुझाव नहीं दिया है और भारत सरकार भी ठीक मार्ग पर है क्योंकि यदि सरकार फारूक की बात मानकर अपनी मांग से पीछे हट जाये तो वह घातक होगा क्योंकि जब तक पाकिस्तान नहीं मानता। तब तक अपनी बढी हुई मांग पर दृंढ रहना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम फारूक अबदुल्ला के कथन का अनावश्यक विरोध करे। भारत सरकार की अपनी मजबूरी है हमारी नहीं। पाकिस्तान भारत में मिलकर जो कर्तारपुर कोरिडोर खोला है वह प्रयास गलत नहीं है हम मुठठी भर आतंकवादियों केडर से सिख समुदायों को नाराज नहीं कर सकते। भारत में इतनी क्षमता है कि वह आतंकवादी सिखों और मुसलमानों में एक साथ निपट सकता है। यदि हम सिख बहुमत और मुस्लिम बहुमत को अनावश्यक संदेह की दृष्टि से देखना बंद कर दे। मुझे लगता है कि आपने फारूक अबदुल्ला और कर्तारपुर कोरिडोर के विषय में संदेह पैदा करके भूल की है। हमें भारत सरकार की समझदारी पर विश्वास रखना चाहिए और हमें आतंकवादियों के विरूद्ध और अधिक कडे कदम उठाने की मांग करनी चाहिए। हर मुसलमान या हर सिख उग्रवादी नहीं होता।